कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/ मा/संस्था /सी–3/भौगकृ/भौतिक/स्थानान्तरण–पदस्थापन /2022 दिनांक 18.08.2022 द्वारा श्री रामेश्वर सिंह व्याख्याता–भौतिक विज्ञान का स्थानान्तरण GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 4 ML (211879)- GANGANAGAR से GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHAMANDIR (220391)-JODHPUR किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री रामेश्वर सिंह व्याख्याता–भौतिक विज्ञान द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस0बी0सि0या0 संख्या 12320/2022 रामेश्वर सिंह बनाम सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2022 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश ¼REASONED SPEAKING ORDER½ प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

रामेश्वर सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय मे कथन किया है कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समंजन करने के लिए उसका स्थानान्तरण किया गया है साथ ही कथन किया है कि उसका स्थानान्तरण उसके निवास से 500 किमी दूर कर दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया है एवं पिताजी का स्वास्थय ठीक नहीं रहता है, मुझे अचानक दौरे आते है एवं हार्ट एवं शुगर की बीमारी है, पत्नी का साइकोथेरेपिस्ट से उपचार चल रहा है व दो छोटी बेटियाँ है अतः पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा समायोजन श्रीगंगानगर में नजदीकी स्थान पर किया जावे।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के स्थानान्तरण संबंधी दिशा–निर्देश दिनांक 14.07.2022 के अनुसार माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री/स्वयं की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। जहां तक प्रत्यर्थी के समंजन का प्रश्न है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस के प्रकरण में समन्जन (Accommodation) के बारे में निम्नानुसार अवधारित किया है:–''If the comptent authority issued tranfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned.''किसी भी लोकसेवक को जो हस्तान्तरणीय पद पर कार्यरत है,एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नही है। उन्हे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

जहां तक पदस्थापन स्थान की दुरी का प्रश्न है माननीय उच्च न्यायालय ने भगवान दास मित्तल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी 2007(2)276 में निम्न प्रकार अवधारित किया है:–"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the state where ever he/she is posted. The plea of posting at a distance form one place to another is immaterial. It does not involved any violence of service rule."

Rajasthan Education Department

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिहं दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में अवधारित किया है कि किसी भी लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन लोकसेवक को कब,कहां और किस समय स्थानान्तरित करता है।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख के आधार पर याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी है तथा उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। किसी भी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। अतः स्थानान्तरण आदेश से किसी प्रकार से सेवा नियमों का उल्लंधन नहीं पाया गया। याचिकार्थी श्री रामेश्वर सिंह व्या0 भौतिक विज्ञान द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया है अतः याचिकार्थी का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज कर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित सूचित होवें।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/सी–3/भौगकू/एस0बी0सि0या0सं0 12320/रामेश्वर सिंह /2022 दिनांक–06/04/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार,जयपुर।
02.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
03.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04.संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05.संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
06.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
07.संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
08.जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
09.सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11.संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षाराजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department